संख्या-4/2025/270/8-4099/99/2024

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 10 अप्रैल,2025

विषय : जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-55/एन0सी0/पच्चीस-नजूल-अ0अ0-24 दिनांक 25.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या में 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु नजूल गाटा संख्या-460, 461, 462, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 तथा 809 से 834 तक क्षेत्रफल 12798.00 वर्गमीटर भूमि स्थित मोहल्ला रीडगंज, शहर फैजाबाद, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद-अयोध्या को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75 /दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवादस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि नजूल गाटा संख्या-460, 461, 462, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 तथा 809 से 834 तक क्षेत्रफल 12798.00 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला रीडगंज, शहर फैजाबाद, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जनपद-अयोध्या को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नजूल भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) उक्त हस्तान्तरित नजूल भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय, तो उसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) प्रश्नगत नजूल भूमि तीन वर्षों तक प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाये जाने की दशा में उक्त भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वापस करनी होगी।

.... 2 पर

(4) नजूल भूमि के उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

(5) आवंटित नजूल भूमि का उपयोग केवल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियत प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त नजूल भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किसी अन्य विभाग/निजी संस्था/व्यक्ति को कदापि नहीं किया जायेगा।

(6) प्रभावी नियम/विनियमन/महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों (यदि कोई हो) में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

भवदीय,

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-4/2025/270(1)/8-4099/99/2024, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।

संख्या-3/2025/269/आठ-4-2025-07एन/2024

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अयोध्या ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः10 अप्रैल, 2025

विषय : जनपद अयोध्या में 03-07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेण्टर की स्थापना हेतु नजूल भूमि की चक-04 ब्रम्हकुण्ड अयोध्या, नजूल गाटा संख्या-695 मि0 स्थित मोहल्ला ब्रम्हकुण्ड अयोध्या, परगना हवेली अवध तहसील सदर, जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल-4000 वर्गफिट (371.74 वर्गमीटर) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-44/एन0सी0/पच्चीस-नजूल-अ0अ0-24 दिनांक 20.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या में 03-07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेण्टर की स्थापना हेतु नजूल भूमि की चक-04 ब्रम्हकुण्ड अयोध्या, नजूल गाटा संख्या-695 मि0 स्थित मोहल्ला ब्रम्हकुण्ड अयोध्या, परगना हवेली अवध तहसील सदर, जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल-4000 वर्गफिट (371.74 वर्गमीटर) भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अयोध्या के पक्ष में निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75 /दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवादस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन जनपद अयोध्या में 03-07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेण्टर की स्थापना हेतु नजूल भूमि की चक-04 ब्रम्हकुण्ड अयोध्या, नजूल गाटा संख्या-695 मि0 स्थित मोहल्ला ब्रम्हकुण्ड अयोध्या, परगना हवेली अवध तहसील सदर, जिला अयोध्या स्थित भूमि क्षेत्रफल-4000 वर्गफिट (371.74 वर्गमीटर) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पक्ष में प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त नजूल भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

.... 2 पर

(2) उक्त हस्तान्तरित नजूल भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय, तो उसके लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) प्रश्नगत नजूल भूमि तीन वर्षों तक प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाये जाने की दशा में उक्त भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वापस करनी होगी।

(4) नजूल भूमि के उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

(5) आवंटित नजूल भूमि का उपयोग केवल दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा नियत प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उक्त नजूल भूमि का आवंटन/हस्तान्तरण किसी अन्य विभाग/निजी संस्था/व्यक्ति को कदापि नहीं किया जायेगा।

(6) प्रभावी नियम/विनियमन/महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(7) उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों (यदि कोई हो) में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

भवदीय,

(पी0 गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2025/269(1)/आठ-4-2025-07एन/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र श्याम मिश्र)
अनु सचिव।